

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रमांक / /2016 | फाइल - 3322- I16

23/9/2016

68

1. मोती ढीमर तनय रतना आयु 65 वर्ष
 2. नारायणदास तनय हरजू ना.वा.सं.
निज माता सल्लू पत्नि हरजू ढीमर
 3. हल्लू तनय वल्लुआ ढीमर
 4. गनेशा तनय लछुआ ढीमर
 5. चैना तनय दुर्जन ढीमर
 6. हीरा तनय दुर्जन ढीमर
 7. सरजुआ तनय बल्लुआ ढीमर
 8. सन्तोष तनय बल्लुआ ढीमर
 9. गौरैलाल तनय कुन्जी ढीमर
 10. लखन तनय कुन्जी ढीमर
 11. सुखलाल तनय कुन्जी ढीमर
 12. बालचन्द तनय कुन्जी ढीमर
- समस्त निवासी मातौल तह. खरगापुर
जिला टीकमगढ़ म.प्र.

19-9-16

.....निगराकार्यगण

बनाम

1. रन्जोला तनये ^{दुर्गा} अहिरवार निवासी
फुटेर चक्र-1 तह. खरगापुर जिला
टीकमगढ़
2. शासन म.प्र. द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3322-एक/2016

जिला टीकमगढ़

मोती विरूद्ध रन्जोला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक खरगापुर के प्रकरण क्रमांक 16/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>7.1.19</p>